रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
No. 557] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 710(अ).— केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10(ख) की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 38क की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :-- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(छ) "अधिनियम" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959, अभिप्रेत है ;

(ज) "व्यथित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने परिषद के उस निर्वाचन को लड़ा है जिससे विवाद संबद्ध है ;

(झ) "विवाद" से संस्थान की परिषद के निर्वाचन से उत्पन्न, किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा उठाया गया कोई विवाद अभिप्रेत है ;

(ञ) "निर्वाचन" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन किया गया परिषद का निर्वाचन अभिप्रेत है ;

(ट) "विधि व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय विधिज्ञ परिषद या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद से रजिस्ट्रीकृत है और किसी न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए पात्र है ;

(ठ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. **अधिकरण का गठन** :-- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 10क के अधीन संस्थान के सचिव द्वारा अग्रेषित किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति के यथासाध्य पैंतालीस दिन के भीतर अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित किसी लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेंगे ।

(3) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित कारणों में से किसी के कारण से यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य नहीं रह सकेंगे :--

(क) मृत्यु ; या

(ख) त्यागपत्र ; या

(ज) यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य के रूप में कार्य करने से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होने ; या

(झ) यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य के पात्र न रह जाने ; या

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने ।

(4) अधिकरण में किसी आकस्मिक रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन प्रवर्गों में से, जिनमें ऐसी रिक्ति उत्पन्न हुई है, किसी अधिसूचना द्वारा भरा जाएगा ।

4 पीठासीन अधिकारी और अधिकरण के सदस्यों की सेवा के नियन्धन और शर्तें :-- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे और अधिकरण को अर्पित के लिए नियुक्त होंगे ।

5 भत्ते :-- (1) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य को बैठक के प्रत्येक दिन के लिए भत्ते के रूप में निम्नलिखित रकम संदत्त होगी, अर्थात् :--

(क) पीठासीन अधिकारी -- 500 रु0 ;

(ख) सदस्य --- 400 रु0 ।

(2) केन्द्रीय सरकार, समय समय पर, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से बैठक फीस या मानदेय को पुनरीक्षित कर सकेगी ।

(3) यदि, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियोजन में है तो वह केवल 5000/- रुपए की किसी एक मुश्त राशि के लिए पात्र होगा और वह किसी बैठक फीस के लिए पात्र नहीं होगा ।

6 यात्रा और दैनिक भत्ता :-- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य, दौरे के समय, उनकी पदीय हैसियत में उनको यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे और यदि सदस्य, एक सरकारी सेवक नहीं है तो वह, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के वेतनमान के किसी पद को धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होगा ।

7 अधिकरण की बैठक :-- (1) अधिकरण की सभी बैठकें, संस्थान के मुख्यालय पर होंगी :

परंतु, यदि अधिकरण की यह राय है कि न्याय हित में संस्थान के मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई बैठक करना समीचीन है तो वह, ऐसे किसी स्थान पर बैठक कर सकेगी ।

(2) बैठकों की तारीख या तारीखें और समय, अधिकरण के अन्य सदस्यों के परामर्श से पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी :

परंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना, जो ऐसी बैठक की अनुसूचित तारीख से पहले पन्द्रह दिन से कम न हो, अधिकरण के अन्य सदस्यों, संस्थान के सचिव और अंतर्वलित पक्षकारों को दी जाएगी ।

(3) अधिकरण की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति दो होगी ।

(4) पीठासीन अधिकारी अधिकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त किया गया सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) ऐसे सभी प्रश्नों का जो अधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा और मत बराबर होने की दशा में पीठासीन अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य, द्वितीय या निर्णायक मत रखेगा ।

8. **अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** :-- (1) अधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अधिनियम और इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, अधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा :

परंतु अधिकरण, यथासाध्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि कोई विवाद, इसके गठन की तारीख से छह मास के भीतर इसके द्वारा सुना और विनिश्चित कर दिया गया है ।

(2) अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने वाला प्रत्येक पक्षकार को किसी विधि व्यवसायी द्वारा या अधिकरण की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा ।

(3) अधिकरण, अपना विनिश्चय देते समय,--

(क) आवेदन को खारिज कर सकेगा ;

(ख) सभी या किसी निर्वाचित अभ्यर्थीयों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकेगा ;

(ग) सभी या किसी निर्वाचित अभ्यर्थीयों के निर्वाचन को और आवेदक या सम्यक् रूप से निर्वाचित किसी अन्य अभ्यर्थी को शून्य घोषित कर सकेगा ; और

(घ) खर्च के बारे में ऐसा आदेश जैसा वह समुचित विचार करे, पारित कर सकेगा ।

(4) अधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों द्वारा अधिप्रमाणित होंगे ।

9. **अधिकरण की शक्तियां** :-- (1) इन नियमो के अधीन किसी विवाद का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, अधिकरण, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वैसी ही शक्तियां रखेगा जैसी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा, शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य का ग्रहण करना ; और

(घ) इसके समक्ष पेश किए गए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करना ।

10. **अधिकरण की अवधि** :-- अधिकरण की अवधि, निर्देश के अधीन विवाद पर इसके विनिश्चय की घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर समाप्त होगी ।

11. **अवशिष्ट उपबंध** :-- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य की सेवा निबंधन और शर्तों, बैठकों के स्थान और भत्तों से संबंधित विषयों के संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में इसके विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को, निर्दिष्ट होगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, अधिकरण, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों पर आबद्धकर होगा ।

[फा. सं. 5/27/2006/सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 710(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38A, read with sub-section (3) of section 10B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules namely: -

1. Short title and commencement:- (1) These Rules may be called *the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006.*

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires, -

(g) "Act" means the Cost and Works Accountants Act, 1959;

(h) "aggrieved person" means a person who contested that election to the Council to which the dispute pertains;

(i) "dispute" means a dispute raised by an aggrieved person arising out of the election to the Council of the Institute;

(j) "election" means election to the Council held under sub-section (2) of section 9 of the Act;

(k) "legal practitioner" means a person registered with Bar Council of India or any of the State Bar Councils and is eligible to appear before a Court of law;

(l) "Tribunal" means the Tribunal formed under sub-section (1) of section 1 of the Act.

3. Constitution of Tribunal:- (1) The Central Government shall establish a Tribunal by notification in official gazette, in accordance with the provisions of section 10B of the Act within, as far as practicable, 45 days of receipt of an

application forwarded by the Secretary of the Institute under section 10A of the Act.

(2) The Presiding Officer or a member of the Tribunal may resign his office by a notice in writing under his hand addressed to the Central Government.

(3) The Presiding Officer and each member of the Tribunal may cease to remain the Presiding Officer or member, as the case may be, due to any of the following reasons, -

(f) death; or

(g) resignation; or

(h) becoming physically or mentally incapable of acting as the Presiding Officer or a member, as the case may be; or

(i) his being no longer being eligible to be the Presiding Officer or a member, as the case may be; or

(j) removal by the Central Government.

(4) A casual vacancy in the Tribunal shall be filled by the Central Government, by a notification, from out of the categories in which such vacancy occurs.

4. **Terms and conditions of service of the Presiding Officer and members of the Tribunal:-** The Presiding Officer and other members of the Tribunal would be part-time members and would be appointed for the term of the Tribunal.

5. **Allowances:-** (1) The Presiding Officer and other members of the Tribunal would be paid the following amount as allowance for each day of sitting, namely,-

(a) Presiding Officer - Rs.500;

(b) Members - Rs.400.

3643 GI/06-2

IndiaCode

(2) The Central Government may revise the sitting fee or honorarium from time to time, through notification in the official gazette

(3) If the presiding officer or member is in employment with the Central Government or State Government, he would be eligible only for a lump sum honorarium of Rs 5000/- and would not be eligible for any sitting fee.

6. Travelling and daily Allowance:- The Presiding Officer and other Members of the Tribunal, while on tour, shall be entitled to the travelling allowance and daily allowances as admissible to them in their official capacity and in case the member is not a Government Servant, he will be entitled to the travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying a scale of pay of a Joint Secretary to the Government of India.

7. Meetings of Tribunal:- (1) All meetings of the Tribunal shall be held at the headquarters of the Institute:

Provided that, if the Tribunal is of the opinion that in the interest of justice it is expedient to hold a meeting at any other place than the headquarters of the Institute, it may hold a meeting at such a place.

(2) The date or dates and time of meetings shall be fixed by the Presiding Officer in consultation with other members of the Tribunal:

Provided that a notice of not less than 15 days before the scheduled date of every such meeting shall be given by the Presiding Officer to the other members of the Tribunal, Secretary of the Institute and the parties involved.

(3) The quorum for transaction of business at a meeting of the Tribunal shall be two.

(4) The Presiding Officer shall chair all the meetings of the Tribunal:

Provided that in the absence of Presiding officer, the member appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 10B of the Act shall chair the meeting.

(5) All questions which come up before any meeting of the Tribunal shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Presiding Officer or in his absence, the member presiding, shall have a second or casting vote.

8. Procedure to be adopted by the Tribunal:- (1) In the discharge of its functions, the Tribunal shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of the Act and these Rules, the Tribunal shall regulate its own procedure:

Provided that, as far as practicable, the Tribunal shall try to ensure that a dispute is heard and decided by it within six months from the date of its constitution.

(2) Every party appearing before the Tribunal shall have the right to be represented before it by a legal practitioner or, with the permission of the Tribunal, by any other person.

(3) At the time of giving its decision, the Tribunal may, –

(a) dismiss the application;

(b) declare the election of all or any of the elected candidates to be void;

(c) declare the election of all or any of the elected candidates to be void and the applicant or any other candidate to have been duly elected; and

(d) may pass such order as to costs as it may consider appropriate.

(4) All orders and decisions of the Tribunal shall be authenticated by the Presiding Officer and other members of the Tribunal.

9. Powers of the Tribunal:- (1) For the purpose of deciding a dispute under these Rules, the Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) cross-examining the witnesses produced before it.

10. Duration of the Tribunal:- The term of the Tribunal shall be over within 15 days from the date of announcement of its decision on the dispute under reference.

11. *Residuary provision*:- Matters relating to the terms and conditions of services of the Presiding Officer and other members of the Tribunal, the place of meetings and allowances, with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Tribunal, the Presiding Officer and other members.

[F. No. 5/27/2006/CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

IndiaCode